

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 10(9)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 02 JUN 2016

न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कोटा-1, कोटा-2, बाडमेर, सवाई माधोपुर,
झालावाड, उदयपुर-1, झुंजरपुर, सीकर, भीलवाडा,
जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर प्रथम, जयपुर महानगर,
झुन्झुनु, भरतपुर।

विषय:—मुख्य शीर्ष 2014-00-116-01-00-05-कार्यालय व्यय (N.P.) मद
के अन्तर्गत Furniture and Furnishing of Drawing room and
furniture and books for home library of official residences
of Judicial Officers जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में
पदस्थापित हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि के व्यय करने
की स्वीकृति बाबत।


संदर्भ:—इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 11 (3)/न्याय/2002 दिनांक
10.11.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11
(3)/न्याय/2002 दिनांक 10.11.2015 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय
वर्ष 2015-16 से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में पदस्थापित न्यायिक
अधिकारियों/पोठासीन अधिकारियों को शेट्टी कमीशन की सिफारिशों के
अन्तर्गत 05 वर्ष के ब्लॉक वर्ष में प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रुपये
1,00,000/- Furniture and Furnishing of Drawing room and furniture
and books for home library of official residences के लिये कुल 15.00
लाख व्यय करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की
जाती है।

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यय वित्तीय नियमों/ आर.
टी.टी.पी. एक्ट तथा शेट्टी कमीशन की सिफारिशों/निर्धारित दिशा-निर्देशों के
अनुसार सुनिश्चित किया जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331600421 दिनांक
31.05.2016 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव